HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 65/2026

Shree Mohammad Haroon Khan S/o Shri Raju Khan, R/o 259, Behind Badi Masjid, Sansar Chand Road, Jalupura, Jaipur.

----Petitioner/Accused

Versus

1. State of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

2. Laxmikant Biyani S/o Late Shri Shivbhagwan Biyani, R/o 607-A, Crastalmall, Near Motimahal Cinema, Sawaijaisingh Highway, Banipark, Jaipur.

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aslam S. Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.
For Complainant	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

27/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,** विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम–07, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा मुकदमा नम्बर– **30431/2020** में पारित आलौच्य आदेश दिनांक **20.11.2025**, जिसके माध्यम से याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का कथन है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त के अधिवक्ता के समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 18.07.2024 को याची–अभियुक्त का परिवादी से जिरह का अधिकार न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 26.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र धारा 311 दं.प्र.सं.

RAJASTHAN HIGH COURT

का साक्ष्य खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.11.2025 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, उनका यह भी कथन है कि अयाची–परिवादी से याची–अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिलने से, न्यायालय में लम्बित प्रकरण में निष्पक्ष विचारण नहीं हो पायेगा, जिससे न्याय का हनन होगा, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त को उक्त प्रकरण में जिरह का अवसर दिया जाना न्यायहित में एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है, उनका यह भी कथन है कि न्यायालय यदि चाहे तो इस संदर्भ में युक्तियुक्त कॉस्ट भी अधिरोपित कर सकता है, अतः न्यायहित में अयाची–परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु उसे एक अंतिम अवसर प्रदान किया जावे।

3. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत याचिका का विरोध करते हुए उसे अस्वीकारी किये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने पत्रावली का मय आलौच्य आदेश सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

5. हस्तगत प्रकरण में यद्यपि याची–अभियुक्त द्वारा अपनी याचिका में जो कारण बताये गये हैं, वे पूर्णतया उचित नहीं है, किन्तु न्यायहित में एवं न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु याची–अभियुक्त को कॉस्ट पर अयाची–परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः उक्त याचिका 10,000/– रूपये कॉस्ट पर स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 अपास्त किया जाकर याची–अभियुक्त को अयाची–परिवादी से प्रतिपरीक्षा का एक अंतिम अवसर दिये जाने का आदेश दिया जाता है, उपरोक्त कॉस्ट राशि में से 5,000/– रूपये संबंधित न्याय क्षेत्र के विधिक सहायता कोष के समक्ष जमा कराते हुए रसीद विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी एवं शेष 5,000/– रूपये की राशि का

डी.डी. परिवादी के नाम बनाकर आज से 10 दिवस के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराना होगा। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अयाची–परिवादी को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब कर उससे याची–अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जावे एवं तत्पश्चात् उपरोक्त डी.डी. को अयाची–परिवादी को भुगतान हेतु सुपुर्द किया जावे।

7. उक्त कोस्ट प्रतिपरीक्षा हेतु तथा इस याचिका को स्वीकार करने हेतु पूर्ववर्ती शर्त होगी।

8. उपरोक्त परिसीमा अवधि में कॉस्ट राशि जमा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

9. उपरोक्तानुसार याचिका स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

10. प्रकरण से संबंधित यदि कोई अन्य प्रार्थना पत्र लंबित हों, तो वे भी निस्तारित किए जाते हैं।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /24